

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत :

जिला कलक्टर

मुकाम :



बांसवाड़ा

<u>प्रार्थी :-</u>		<u>अप्रार्थी :-</u>
श्री शरद पंड्या कार्यालय अंदर की खबर समाचार पत्र, घंटाघर के पास त्रिपोलिया रोड़, बांसवाड़ा मो. 9414104888	बनाम	उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 19 (01) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मु. नं. :

1/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
01.01.2025	<p>श्री शरद पंड्या की ओर से अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त हुई। अपीलांत अनुसार उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 20-11-2024 (पोस्टल ऑर्डर 62 F 366925) द्वारा चाही गयी सूचना उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा द्वारा उपलब्ध नहीं कराने के कारण यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। विपक्षी उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा को नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 16-01-2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (डॉ. इंद्रजीत यादव) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.) </p>	<p style="font-size: 2em;">1</p> <hr style="width: 50px; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: 1.5em;">11/1/25</p>
16/1/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। रैस्पोंडेंट का नोटिस बाद तामिल प्राप्त। रैस्पोंडेंट की ओर से जवाब देना समय याथा पत्रावली वास्ते जवाब-वत्स दिनांक 24/1/25 को पेश हो।</p>	
24/1/25	<p>पत्रावली पेश हुई अपीलांत का एक प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ जिले में निवेदन किया गया है कि प्रकरण में व्यक्त किनारे की सूचना लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त हो चुकी है। सुनवाई सम्पन्न करने निवेदन किया अपीलार्थी को वांछित सूचना प्राप्त हो चुकी है। अतः यह अपील इस स्टेज पर ही निष्कारित की जाती है। पत्रावली के माध्यम से सुनवाई के बारे में सूचित किया जा रहा है।</p> <p style="text-align: right;">  लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.) </p>	
		<p style="font-size: 1.5em;">24</p> <p>लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)</p>